

आदेश संख्या- जीएसटी/2017-18/

06 /वाणिज्य कर


कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०
(जीएसटी अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: 17, नवम्बर, 2017

:आदेश:

विषय:- उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 120क के अंतर्गत प्रारूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का विस्तार।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 120क सपठित उ०प्र० माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 168 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आयुक्त, एतद्वारा, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्व में जारी आदेश संख्या- जीएसटी/2017-18/04/वाणिज्य कर दिनांक 06 नवम्बर 2017 को अधिक्रमित करते हुए, प्रारूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा प्रस्तुत करने की अवधि को दिनांक 27 दिसम्बर 2017 तक बढ़ाता हूँ।


17/11/17
(मुकेश कुमार मेश्राम)
आयुक्त वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।